

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग  
राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्वद सचिवालय  
द्वितीय तल, विकास भवन, बेली रोड, पटना

सं० सं०-एस०आइ०पी०बी० 2017(X)515  
द्वितीय वी.

दिनांक-

महालेखाकार (ले० एवं इका०),  
बिहार, पटना।

**विषय-** मेसर्स कुमार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रा० लि० द्वारा डी० एम० कोटी गेट, गया में 95 बेड का इनपेशेन्ट हेल्थकेयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के स्थापना हेतु टर्म लोन पर ब्याज अनुदान एवं निबंधन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति के रूप में कुल ₹० 7,13,045/- (मात्र सात लाख तेरह हजार पैंतालिस रूपए) के अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

**आदेश**  
स्वीकृत।  
महाराज,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेसर्स कुमार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रा० लि० द्वारा डी० एम० कोटी गेट, गया में 95 बेड का इनपेशेन्ट हेल्थकेयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के स्थापना संबंधी प्रस्ताव में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्वद की बैठक दिनांक 04.09.2017 को स्टेज-1 तथा दिनांक 26.03.2018 की बैठक में वित्तीय प्रोत्साहन विलयेन्स प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम-7 (2) (i) में निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन भी प्राप्त है। यह ईकाई स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिकता सूची में है।

2. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत ईकाई के उत्पादन में आने के बाद ही अनुदान देय है, अतएव राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्वद सचिवालय के कार्यालय आदेश ज्ञापक SIPB201700515/1175, दिनांक 26.07.2018 के द्वारा श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, गया से उक्त ईकाई का स्थल निरीक्षण कराया गया। उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में ईकाई को दिनांक 02.09.2018 से कार्यरत बताया गया है। अतः ईकाई बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र है।

3. ईकाई को पूर्व में 30 मार्च, 2018 तक ब्याज अनुदान के रूप में कुल ₹० 21,24,224.00 (मात्र इक्कीस लाख बीबीस हजार दो सौ बीबीस रूपए) भुगतान किया जा चुका है।

4. ईकाई को 01 अप्रैल, 2018 से 30 सितम्बर, 2018 तक ब्याज अनुदान ₹० 5,54,965/- (पांच लाख चौवन लाख नौ सौ पैंसठ रूपए) एवं निबंधन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति के रूप में ₹० 1,58,080 (एक लाख अठ्ठावन हजार अस्सी रूपए) अर्थात् कुल ₹० 7,13,045/- (मात्र सात लाख तेरह हजार पैंतालिस रूपए) के अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है-

(i) ईकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य और लक्ष्य कारण के बंद होती है तो भुगतान की गई अनुदान की राशि 18% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(ii) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति के पश्चात् 5 वर्षों तक स्थापित मशीन-उपकरण आधारभूत संरचना भूमि को बिक्री/ लीज/ हस्तांतरण किसी अन्य को नहीं किया जाएगा।

(iii) अनुदान की गणना में कूटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जाएगी।

(iv) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु कूटी उद्घोषणा किए जाने, उपलब्ध कराए गए जगजात के भविष्य में गलत पाए जाने पर भुगतान की गई अनुदान की राशि भुगतान की तिथि से 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(v) यदि ईकाई के द्वारा निर्धारित समय पर राशि वापस नहीं लीटाई जाती है तो राज्य सरकार द्वारा Public Demand Recovery Act के अंतर्गत ब्याज सहित उक्त राशि की वसूली मू-राजस्व के बकाये के रूप की जाएगी।

4. उक्त राशि का खय बहन 'राज्यादेश सं०-2060, दिनांक-11.06.18 एवं आवंटनादेश सं०-5(1)-B(Allotment)-16/2018, Order No.-1480 dated-13.06.2018 के आलोक में मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80-सामान्य, लघु शीर्ष 102-औद्योगिक उत्पादकता, मींग संख्या 23, उप शीर्ष 0160-ट्री प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विमत्र कोड 23-2852801020160, विषय शीर्ष 0160.33.01 सस्त्रिडी मद में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में उपबधित राशि से विकलगीय होगा।

क्रमशः पृष्ठ-2

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।
6. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।
7. इस राशि की निकासी पूर्व प्राप्त रसीद पर बी० टी० सी० फार्म-25 पर की जाएगी।
8. इस राशि का नुगतान कुमार नन्दी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रा० लि०, गया को उनके कॉरपोरेशन बैंक, गया में खाता संख्या-510101000696241, IFS Code-CORP0001266 में RTGS के माध्यम से की जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(पंकज कुमार सिंह)

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,

बिहार, पटना।

दिनांक-

ज्ञापक—एस०आई०पी०बी० 201700515.....

प्रतिलिपि—कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनाार्थ एव आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,

बिहार, पटना।

ज्ञापक—एस०आई०पी०बी० 201700515.....

दिनांक-

प्रतिलिपि: वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनाार्थ प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,

बिहार, पटना।

ज्ञापक—एस०आई०पी०बी० 201700515... 13/7

दिनांक— 06.03.19

प्रतिलिपि— महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया को सूचनाार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में एस०आई० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / मेसर्स कुमार नन्दी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रा० लि०, गया को सूचनाार्थ एव आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,

बिहार, पटना।